कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2009 / 1114 — 40   दिनांक 8 जून 2009

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 8 जून, 2009 का कार्यवाही विवरण

कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक श्री गौरव गोयल, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में 8 जून, 2009 को अपरान्ह 4.00 बजे उनके कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का नाम संलग्न परिशिष्ट संख्या–1 में अंकित है। बैठक का एजेण्डा व उन में लिये गये निर्णयों का विवरण निम्न अनुसार है:–

प्रस्ताव संख्या 1 : गत बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2009 का कार्यवाही विवरण विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 : ले–आऊट प्लान की स्वीकृति के संबंध में।

ले–आऊट प्लान के संबंध में उप नगर नियोजक ने जानकारी दी कि कार्यालय स्तर पर ले–आऊट प्लान तैयार कर समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है। इस संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि ले–आऊट प्लान के लिए कार्यकारी समिति एक बडा प्लेटफार्म है इसके लिए पृथक से कमेटी बनाना उपयुक्त रहेगा। अतः विचार विमर्श कर ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने हेतु निम्न अनुसार कमेटी गठित की गयी:–

1– आयुक्त – संयोजक
2– सचिव
3– निदेशक (अभियांत्रिकी)
4– निदेशक (विधि)
5– उपायुक्त (संबंधित)
6– उप खण्ड अधिकारी (संबंधित)
7– वरिश्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
8– राजस्व तहसीलदार (संबंधित)
9– अधिशाषी अभियन्ता (संबंधित)
10– निदेशक (आयोजना) – सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना) का जब तक पद रिक्त रहता है, तब तक यह कार्य उप नगर नियोजक, प्राधिकरण द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

प्रस्ताव संख्या 3 : भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

भू–उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार स्तर से कमेटी गठित होनी है। इसके आदेश अभी तक प्राप्त नही हुए है। अतः राज्य सरकार को भू–उपयोग परिवर्तन कमेटी का गठन करने हेतु स्मरण–पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रस्ताव संख्या 4 : नई पत्रावलियां तैयार करने के संबध में।

सचिव ने अवगत कराया कि निम्नलिखित भूखण्डों की पत्रावलिया तथा अभियांत्रिक शाखा की पत्रावलियां कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रही है। जिनकी डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के संबंध में विचार विमर्श हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इन पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार है:–

1– बी–221, कीर्तिनगर
2– 358, सुभाषनगर
3– ए–172, राजबाग
4– बी–276, राजबाग
5– बी–141, सरस्वती नगर
6– 156–ए, राजबाग
7– सी–14, शास्त्रीनगर श्री आशा राम पुत्र श्री हरीराम
8– महादेव मंदिर के पास पुलिस लाईन में पार्क का विकास कार्य (अनुबंध संख्या एफ. 38 (55) /2008–09 मैसर्स भाटी कन्स्ट्रक्शन)
9– पुलिस लाईन परिसर में मंदिर के पास समाधियों पर आसलेट पत्थर की छतरियों का निर्माण कार्य (अनुबंध संख्या एफ. 38 (69)/2008–09 मैसर्स भाटी कन्स्ट्रक्शन)
10– मोहनपुरा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पार्क का विकास कार्य (अनुबंध संख्या एफ. 38 (68)/2008–09 मैसस भाटी कन्स्ट्रक्शन)
11– जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में उद्यान का विकास कार्य (अनुबंध संख्या एफ 38 (239) /2007–08 मैसर्स मदर गार्डन केयर)

इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में संबंधित उपायुक्त/अधिशाषी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी गयी है तथा पत्रावली में सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। आवेदक से इस आशय का शपथ–पत्र भी प्राप्त किया जावे कि पत्रावली उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तैयार की जा रही है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी तथा इन डुप्लीकेट पत्रावली के आधार पर जारी किये गये दस्तावेज भी निरस्त माने जावेंगे। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की डुप्लीकेट पत्रावलियों पर कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता मौके पर निर्माण की जांच कर भौतिक सत्यापन करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 5 : अंसल प्रोपर्टी के संबंध में।

प्राधिकरण की बैठक दिनाक 13 जनवरी, 2009 प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा अंसल समूह द्वारा विकसित सुशांत सिटी के ले आउट में शामिल राजकीय भूमि के संबंध में सचिव को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। सचिव ने अपने पत्र क्रमांक धारा 90–बी नियमन/2009/233 दिनांक 8 जून, 2009 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया। संबंधित उपायुक्त ने अवगत कराया कि अंसल समूह ने इस संबध मे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे सरकारी खसरो की भूमि को ब्लॉक करते हुए अन्य भूखण्डों की लीज डीड एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये विभिन्न दिशा निर्देश एवं प्रचलित नियमों के अनुसार इस प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं है। उन्होंने यह अवगत कराया कि पूर्व में जारी की गयी स्वीकृति के अनुसार पट्टे जारी कर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

दिये गये थे एवं ले–आऊट प्लान अनुमोदन की त्रुटि उजागर होने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा इस पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिबंध लगाया हुआ है।

सचिव की रिपोर्ट के अनुसार प्रथमदृष्टया ले–आऊट प्लान पारित करने में त्रुटियां रही है एवं गलत ले–आऊट प्लान के आधार पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती। श्री बैनीवाल, उप नगर नियोजक ने अवगत कराया कि विकासकर्ता ने अनुमोदित ले–आऊट प्लान के अनुसार ही विकास कार्य किया है। यह तत्कालीन न्यास का दायित्व था कि वे पट्टा जारी करने से पूर्व सरकारी खसरों की स्थिति स्पष्ट करते। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण की जटिलताओं को देखते हुए प्राधिकरण में इस स्तर पर निर्णय लिया जाना उचित नही होगा तथा इस प्रकरण में नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है। अतः यह प्रकरण पूर्ण तथ्यात्मक विवरण एवं पत्रावली के साथ राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: नवीन विकास कार्य

1– रेल्वे ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण–

मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण ने बताया कि रेल्वे द्वारा चार रेल्वे ओवरब्रिज (आर.ओ. बी.) की सैद्धान्ति सहमति दे दी गयी है एवं दो आर.ओ.बी. हेतु प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति द्वारा चाहे गये हैं। यह दो आर.ओ.बी. /आर.यू.पी. भदवासिया लेवल क्रॉसिंग एवं गौरव पथ पर स्थित खतरनाक पुलिया के हैं। जोधपुर के सिटी डवलपमेंट प्लान का कार्य पीडिकोर द्वारा किया जा रहा है। पीडिकोर द्वारा इन दोनों परियोजनाओं की प्री–फिजिबिलिटी एवं जे.ए.डी. रिपोर्ट हेतु 5.00 लाख रूपये प्रत्येक की कन्सल्टेन्सी फीस एवं एक माह के समय का प्रस्ताव दिया है। कार्य की प्राथमिकता एवं महत्वत्ता को देखते हुए यह कार्य पीडिकोर से सम्पादित करवाये जा सकते हैं।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्री–फिजिबिलिटी एवं जे. ए.डी. रिपोर्ट बनाने का कार्य पीडिकोर से करवाया जावे। कार्यादेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

2– जालोरीगेट पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण–

जालोरीगेट पर यातायात अत्यधिक होने के कारण पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में होने वाली असुविधा को देखते हुए समिति ने प्रस्ताव लिया कि जालोरीगेट पर रोड क्रॉस करने हेतु फुटओवरब्रिज का निर्माण करवाया जावे। इसी तरह सोजतीगेट चौराहे पर भी फुटओवरब्रिज की आवश्यकता है। अतः मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण दोनों स्थानों पर एक्सकलेटर वाले फुटओवरब्रिज का बी.ओ.टी. के आधार पर बनाने की परियोजनाएं बनाकर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। मुख्य अभियन्ता परियोजना बनाने हेतु नियमानुसार बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकेंगे।

3– रिंग रोड का निर्माण–

श्री बैनीवाल, उप नगर नियोजक ने अवगत कराया कि रिंग रोड के दो हिस्से जो नागौर रोड से जैसलमेर रोड एवं डागौर रोड से जयपुर रोड होते हुए जयपुर – जैसलमेर बाईपास को जोड़ने वाला भाग शेष है। अगर इस सड़क का निर्माण कर दिया जावे तो विकास की अपार सम्भावनाएं खुलेगी तथा यातायात भी सुगम होगा। अतः निर्णय लिया गया कि रिंग रोड के बचे हुए दोनों भागों की विस्तृत परियोजना बनायी जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

4— प्राधिकरण में विचार विमर्श के दौरान सदस्यो द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य करवाने के सुझाव दिये:—

(1) बासनी ओवरब्रिज के मोड पर बडी संख्या में दुर्घटना होती है। अतः ओवरब्रिज के क्षेत्र में सुधार हेतु प्रयास किये जावे। इस हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया:—

1— अति. पुलिस अधीक्षक (यातायात) — संयोजक
2— अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
3— अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4— अधिशाषी अभियन्ता, (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5— उप नगर नियोजक, प्राधिकरण

यह समिति इस समस्या का अध्ययन कर अपने प्रस्ताव आगामी 10 दिवस मे आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेगी।

(3) पावटा चौराहे के पास, यातायात की समस्या के समाधान के संबंध में विचार विमर्श:—

अति. पुलिस अधीक्षक (यातायात) ने अवगत कराया कि पावटा चौराहे पर यातायात की बहुत समस्या रहती है। जिस पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये गये। जैसे चौराहे को छोटा करने, चौराहे पर एलेवटेड रोड का निर्माण, चौराहे पर फुटओवरब्रिज का निर्माण करना, वन-वे के रास्ते आदि।

विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि पावटा चौराहे की समस्या जटिल है और विभिन्न समाधान प्रस्तावित है इसलिए विशेषज्ञ/कन्सलटेन्ट द्वारा चौराहे का सर्वे करवाकर सर्वे के आधार पर विस्तृत योजना बनायी जाकर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञ/कन्सलटेन्ट नियुक्त करने एवं डी.पी.आर. बनाने हेतु मुख्य अभियन्ता प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है।

(4) शहर के विभिन्न स्थानों पर/चौराहो के सर्कल का अध्ययन तथा स्लीप लैन की तलाश के बारे में प्रस्ताव तैयार करना।

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि शहर में चौराहे पर स्लीप लैन बनाना आवश्यक है इससे यातायात भी सुगम होगा। अति. पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न स्थानों पर पार्किंग हेतु स्थल चिन्हित किया जाना है। इस संबंध मे यह निर्णय लिया गया कि स्लीप लैन एवं पार्किंग की उपयोगिता के मद्देनजर प्राधिकरण के चारों जोन में निम्न अनुसार दल गठित किये जाते है। ये दल अपने अपने क्षेत्र के समस्त चौराहों का भ्रमण करेंगे एवं मास्टर प्लान एवं अनुमोदित योजना (प्राधिकरण की एवं निजी योजनाएं) में चिन्हित पार्किंग स्थलों की सूची बनायेंगे साथ ही प्रस्तावित पार्किंग स्थलो का चयन भी करेंगे तथा प्रस्ताव बनाकर आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेंगी—

1— उपायुक्त (संबंधित)
2— अधिशाषी अभियन्ता (संबंधित)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

3– वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन का प्रतिनिधि
4– उप नगर नियोजक

(5) जयपुर – जैसलमेर बाईपास एवं पाल एवं पाली रोड चौराहे पर फलाई ओवर का निर्माण कार्य:–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि बढ़ते हुए यातायात को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान बाईपास पर इन दोनों चौराहे यथा पाल रोड एवं पाली रोड पर फलाई ओवर बनाया जाना उचित है। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यह कार्य करवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) को निवेदन किया जावे।

(6) मुख्य अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जानकारी दी कि शहर में अण्डरग्राउण्ड केबलिंग कार्य हेतु 162.00 करोड रूपये के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इस पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य को सी.डी.पी. में शामिल कर लिया जावे। इस कार्य को सी.डी.पी. में शामिल करवाने की कार्यवाही श्री टी.सी. डाबी, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जावेगी।

(7) हैरिटेज वॉक

जोधपुर शहर में पर्यटन की प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए परकोटे के अन्दर गुलाब सागर, फतेहसागर होते हुए मेहरानगढ दुर्ग तक जाने वाले मार्ग को हैरिटेज वाक के रूप में निर्मित कराये जाने के संबंध में परियोजना बनाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्य करवाने हेतु प्रस्ताव बनाकर समिति की आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव तैयार करने का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर, श्री अरूण मेहता, अधिशाषी अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर द्वारा करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

(8) बाईजी का तालाब का विकास कार्य

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बाईजी का तालाब क्षेत्र में न्यूसेंस बढ रहा है। पूर्व में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा बाईजी का तालाब हेतु 98.00 लाख रूपये की परियोजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, नगर निगम एवं न्यास द्वारा सयुक्त रूप से तैयार की गयी थी। चूंकि इस परियोजना में डी–वाटरिंग का कार्य बढते हुए भूजल की समस्या के निवारण हेतु 12.00 करोड रूपये के बजट को शामिल कर दिया गया है। अतः यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना में आवश्यक संशोधन कर विस्तृत परियोजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की कमेटी बनायी जाये:–

1– श्री टी.सी. डाबी, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2– श्री सम्पत मेघवाल, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
3– श्री महेश शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
4– श्री शेखर हर्ष, सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर

उक्त समिति अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेगी।

(9) बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में इण्डोर स्टेडियम तथा तरणताल का निर्माण–

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

श्री अरूण मेहता, अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत कराया कि बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में इण्डोर स्टेडियम एवं तरणताल निर्माण के संबंध में परियोजना तैयार है। केवल भूमि संबंधी विवाद का समाधान किया जाना है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सचिव प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम बैठकर इस संबंध में संयुक्त रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से इस संबंध में विश्लेषण कर समाधान आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात् तरणताल एवं इण्डोर स्टेडियम की परियोजना को कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में रखा जावे।

(10) बरतुल्लाह खां स्टेडियम में फलड लाईट लगाने हेतु राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से MoU करने पर विचार विमर्श

बैठक में निदेशक (विधि) द्वारा प्रस्तावित MoU के बारे में चर्चा की गयी। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस MoU के संबंध में नीतिगत निर्णय लिये जाने की अपेक्षा है। अतः प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(11) साईन्स सिटी को भूमि आवंटन के संबंध में

भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि साईन्स सिटी एवं साईन्स पार्क के लिए भूमि के प्राथमिक प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिये गये हैं। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति द्वारा साईन्स सिटी एवं साईन्स पार्क की परियोजनाओं को प्राथमिकता से कराने एवं इस संबंध में आवश्यक सहमति/स्वीकृति जारी करने हेतु आयुक्त महोदय को अधिकृत किया जाता है।

(12) प्री–पेड बूथ की स्थापना के संबंध में–

जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक सामान्य/2009/7985 दिनांक 8 जून, 2009 द्वारा दिनांक 29–5–2009 को आयोजित बैठक में रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर प्री पेड टैक्सी व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु केबिन आदि की व्यवस्थार्थ राशि रूपये दो लाख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः उक्त कार्य हेतु तत्काल राशि रूपये दो लाख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात को उपलब्ध करवाकर अवगत करावें।

अति. पुलिस अधीक्षक (यातायात) ने बताया कि चूंकि पुलिस विभाग द्वारा निर्माण कार्य स्वयं नहीं करवाये जाते है एवं इस हेतु तकनीकी दक्षता व शक्तियां नहीं है, यह उपयुक्त होगा कि इन दोनो प्री–पेड बूथ का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा करवाया जावे। यह निर्णय लिया गया कि श्री टी.सी. डाबी, अधिशाषी अभियन्ता अल्पकालीन निविदा के माध्यम से अविलम्ब बूथ स्थापित करवाने की कार्यवाही करेंगे।

(14) बाईपास रोड क्षेत्र में वृक्षारोपण के संबंध में–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आगामी वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक सघन वृक्षारोपण करवाया जाना चाहिए। विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जयपुर–जैसलमेर बाईपास के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु छोडी गई 75 फीट पट्टी में सघन वृक्षारोपण करवाया जावे तथा इसके लिए काजरी, आफरी एवं वन विभाग से सहयोग लिया जावे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन विभागों यथा काजरी, आफरी एवं वन विभाग से वार्ता कर उचित अनुबंध करने हेतु आयुक्त महोदय को अधिकृत किया जाता है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(15) झील संरक्षण कार्य:-

बैठक में यह अवगत कराया गया कि कायलाना झील के कायाकल्प हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना बनाने का कार्य आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। अधिशाषी अभियन्ता श्री अरूण मेहता ने अवगत कराया कि पूर्व में कायलाना झील को रिक्रेशनल स्पोट, पिकनिक स्पोट के रूप में विकास करने हेतु चिल्ड्रन पार्क, टेरेस गार्डन, एनिमल पार्क, एम.पी. थियेटर को शामिल करते हुए कायलाना झील के लिए 6.00 करोड रूपये की परियोजना बनायी गयी थी।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि कायलाना झील का राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत वृहद परियोजना बनायी जा रही है। अतः प्रस्तावित योजना के कार्य है जो राष्ट्रीय झील सरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जा सकते हैं उन्हें इस कार्यक्रम में लिये जाकर शेष कार्यों का प्रस्ताव बनाकर कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 — आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए आवासगृहों का निर्माण

मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के स्तर पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवासगृह बनाने का कार्य प्राथमिकता से करने पर विचार कर रही है। अतः प्राधिकरण भी इस संबंध में विचार कर कार्यवाही कर कम से कम 500 आवासगृह प्रतिवर्ष बनाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

बैठक में बाद विचार विमर्श इसे सैद्धान्तिक सहमति देते हुए निर्णय लिया कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए शहर में कम कीमत के आवासगृहों का निर्माण करवाया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 500 आवासगृहों का निर्माण करवाया जाकर उनका आवंटन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को किया जावे। इस हेतु सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उप नगर नियोजक सयुक्त रूप से विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर 500 आवासगृह निर्माण करने के लिए भूमि चिन्हित करें प्रस्ताव आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करे।

प्रस्ताव संख्या 8 — नीलामी कर्ता की नियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में प्रभारी अधिकारी, नीलामी शाखा ने जानकारी दी कि प्राधिकरण में नीलामी में बोलीदाता उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्राधिकरण के पास इस क्षेत्र में तकनीक का अभाव है साथ ही स्टाफ की कमी है एवं अन्य कारणों से उचित प्रकार से नीलामी नहीं हो पा रही है। जिसके लिए यह उचित होगा कि राजस्थान आवासन मण्डल की तर्ज पर प्राधिकरण में भी नीलाम कर्ता की नियुक्ति की जावे। यह उपयुक्त होगा कि नीलामीकर्ता को तीन माह के लिए प्रायोगिक तौर पर नियुक्त किया जावे तथा तीन माह के कार्यों के विशलेषण के आधार पर भविष्य में नीलामीकर्ता के माध्यम से नीलामी करवाने का निर्णय लिया जावे।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखकर निर्णय लेने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक धन्यवाद समाप्त हुई।

(रमेशचन्द्र गुप्ता)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2009 / 1114-1140 दिनांक 8 जून, 2009

प्रतिलिपि:—

01. निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
05. निजी सहायक (आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक, निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. ------------------------------------

(रमेशचन्द्र गुप्ता)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

परिशिष्ट–1

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 8 जून, 2009 में उपस्थित सदस्यों / अन्य अधिकारियों का विवरण

सदस्यगण:–

01. श्री एस.एल. माथुर, मुख्य अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर
02. श्री अजय गुप्ता, अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
03. श्री सुन्दरलाल बी. माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर प्रतिनिधि अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
04. श्री वासुदेव मालावत, उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर
05. श्री मनीष अग्रवाल, अति. पुलिस अधीक्षक (यातायात), जोधपुर
06. श्री गौतम जैन, वरिष्ठ रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
07. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
08. श्री शेखर हर्ष, सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. श्री भानुप्रताप, सहायक निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
10. श्री रूपाराम परिहार, तहसीलदार, लूणी
11. श्री विवेक व्यास, तहसीलदार (का), जोधपुर

अन्य अधिकारी:–

12. श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण,
13. श्री राजेन्द्रसिंह राठौड, विशेषाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री अनवर अली खान, विशेषाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री खान मोहम्मद खान, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री अनिल माथुर, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री अरूण मेहता, अधिशाषी अभियन्ता–शहर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री टी.सी. डाबी, अधिशाषी अभियन्ता–सरदारपुरा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री निरंजन माथुर, अधिशाषी अभियन्ता–सूरसागर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. श्री निहालसिंह, लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor